<u>न्यायालयः सिविल जज (जू०डि०)/ जे०एम० जलेसर, एटा</u>

उपस्थित: श्री मोहित कुमार (JO Code- UP 4823) उ०प्र० न्यायिक सेवा

वाद संख्या/एफ०आर० संख्या– 19/2024

राधा देवी **–बनाम–** रामनरेश आदि

अपराध संख्या– 08/2023
धारा– 463, 506 भा०दं०सं०
थाना– अवागढ़, जिला एटा

<u>दिनांक 11.03.2026</u>

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर वादी मुकदमा उपस्थित नहीं।

पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत मामले, मु०अ०सं० 08/2023 में वादी मुकदमा को अन्तिम रिपोर्ट पर आपत्ति (प्रोटेस्ट पिटीशन) प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की तामीला **बजातखास अमल में लायी गयी है**। प्रस्तुत प्रकरण में वादी मुकदमा को विगत कई दिनांक से अंतिम अवसर दिया जा रहा है। वादी मुकदमा को उपस्थित करने हेतु लगातार नोटिस जारी किये जा रहे हैं, किन्तु वादी मुकदमा न्यायालय में उपस्थित नहीं आ रहा है। उक्त अंतिम आख्या पर पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गई। वादी मुकदमा न्यायालय में आज भी अनुपस्थित है तथा कोई स्थगन प्रार्थना पत्र भी नहीं दिया गया है।

प्रस्तुत मामले में विवेचक द्वारा अंतिम आख्या संख्या 85/2023, इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि तमामी विवेचना से तथा निरीक्षण घटना स्थल, बयान गवाहान तथा आस पास के लोगों के बयानों से आरोपीगण के विरुद्ध उक्त अभियोग में अभियोग चलाये जाने योग्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतः मुकदमा उपरोक्त की विवेचनात्मक कार्यवाही जरिये अन्तिम रिपोर्ट 85/2023 दिनांकित 14.08.2023 को समाप्त की जाती है। वादी मुकदमा ने भी अंतिम रिपोर्ट के विरुद्ध कोई आपत्ति/ प्रोटेस्ट पिटीशन प्रस्तुत नहीं किया है।

ऐसी स्थिति में विवेचक द्वारा की गयी विवेचना सही एवं निष्पक्ष प्रतीत होती है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर अन्तिम आख्या स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>–आदेश–</u>

विवेचक द्वारा प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट संख्या 85/2023 दिनांकित 14.08.2023 स्वीकार की जाती है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(मोहित कुमार)
सिविल जज (जु०डि०) /
जे०एम०, जलेसर, एटा।
(JO Code- UP 4823)